

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी (म.प्र.)

TELEPHONE (O) 07644- 234400 (R) 07644-234066 (FAX) 07644 - 234024 PIN 481880, E-mail- dfotddori@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 725

डिण्डौरी दिनांक 4 / 8 / 2025

प्रति,

वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

विषय :- जिला अनूपपुर एवं डिण्डौरी के अंतर्गत कपिलधारा बांध निर्माण हेतु 17.418 हे० (वन मण्डल अनूपपुर की 3.418 हे० एवं वन मण्डल डिण्डौरी की 14.00 हे०) वन भूमि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/WATER/50101/2020)

संदर्भ :- 1- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 032/2023-बीएचओ, दिनांक 22.12.2023
2- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल का पृ०क्रमांक/एफ-3/95/2020/10-11/8/301 भोपाल दिनांक 15.01.2024
3- मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद अमरकंटक का पत्र क्र./910/न०परि०/तक/2025 दिनांक 08.07.2025

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र. 01 द्वारा आवेदक संस्थान एवं वन विभाग से 14 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। संदर्भित पत्र क्र. 03 से आवेदक संस्थान द्वारा बिन्दुओं की पूर्ति कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। वन मंडल स्तर से चाही गई जानकारी तैयार कर आपके अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है :-

क्र०	चाही गई जानकारी	रिमार्क
1	The proposed proposal comes under Bio.Sphere Reserve Area. Recommendation/comments shall be submitted.	पृष्ठ क्र० 02 से 66 तक संलग्न है।
2	KML file of Alternative alignments shall be submitted. uploaded on webportal.	Alternative alignments की के.एम.एल. फाईल आवेदक संस्थान द्वारा पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।
3	Justification for location of the project shall be submitted, uploaded.	Justification पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।
4	No objection certificates of concerned departments (Road, TL, WRD etc) shall be submitted.	पृष्ठ क्र० 67 में संलग्न है।
5	Muck disposal Scheme shall be submitted.	पृष्ठ क्र० 68 में संलग्न है।
6	Administrative approval Sanction letter of the project shall be submitted.	पृष्ठ क्र० 69 से 87 तक संलग्न है।
7	Number of trees proposed in FRL, FRL.2 FRL.4 shall be submitted	पृष्ठ क्र० 88 से 94 तक संलग्न है।
8	The proposed non. forest CA land 36.269 ha instead of 17.418 ha shall be clarified	पृष्ठ क्र० 100 में संलग्न है।
9	Catchment Area I reatment Plan shall be submitted.	पृष्ठ क्र 95 में संलग्न है। (पृथक से Catchment Area I reatment Plan shall be submitted संलग्न है।
10	FRA certificate needs to be submitted.	पृष्ठ क्र० 96 में संलग्न है।